न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर॰ए॰एस॰)

जीसीएमएस नं. 2022/440
मुकदमा नम्बर 98/2022 दर्ज दिनांक– 21.09.2022

टोडाराम पुत्र रामकुमार जाति माली निवासी पहाडिला, तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू
–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़
–अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री हरलाल सैनी
वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश :: **निर्णय दिनांक 29.07.2024**

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ०धा० 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम चिराना की सरहद में नया भूमि खसरा नं. 1066/980, 1067/980 व 1068/980 रकबा कमशः 0.0512, 0.0431, 0.11 है0 के राजस्व रिकार्ड मे टोडरमल पुत्र रामकुमार की जगह टोडाराम पुत्र रामकुमार दर्ज व दुरूस्त किया जावे तथा भूमि खसरा नं. 1067/980 व 1066/980 की किस्म आवासीय अंकित की जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

अनावेदक तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रा. पत्र के सम्बन्ध मे तथ्यात्मक रिपोर्ट 1547 दिनांक 15/05/2024 पेश कि गई जिसके अनुसार नाम दुरूस्त किया जाना उचित बताया गया। द्वितीय अनुतोष भूमि खसरा नं. 1067/980 व 1066/980 की किस्म आवासीय अंकित करने के सम्बन्ध में कोई तथ्य अंकित नही किये है।

लिहाजा तहसीलदार नवलगढ़ कि रिपोर्ट से इत्तिफाक रखते हुये आवेदक का प्रा. पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर,चाहा गया प्रथम अनुतोष ग्राम चिराना की सरहद में नया भूमि खसरा नं. 1066/980, 1067/980 व 1068/980 रकबा कमशः 0.0512, 0.0431, 0.11 है0 के राजस्व रिकार्ड मे टोडरमल पुत्र रामकुमार की जगह टोडाराम पुत्र रामकुमार दर्ज व दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आवेदक द्वारा चाहा गया द्वितीय अनुतोष भूमि खसरा नं. 1067/980 व 1066/980 की किस्म आवासीय अंकित किये जाने को साबित किये जाने मे असमर्थ रहने, पोषणीय व न्यायोचित नही होने से खारिज किया जाता है।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 29.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह) RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुंझुनू

Scanned with CamScanner